न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:– 15/2020 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. कमला देवी पत्नी श्री छोटेलाल मीणा, उम्र करीब 55 वर्ष निवासी ग्राम नयाबास (नरवाला के बास), तहसील रामगढ़, जिला अलवर हाल निवासी मकान सं. 87–बी, कप्तान छुट्टनलाल मीणा कॉलोनी, अलवर (राज0)

.....प्रतिवादी/अपीलाण्ट

बनाम

1. श्रीमति श्वेता मीणा पत्नी श्री कमल मीणा, उम्र करीब 40 वर्ष, निवासी बी–3, मालवीय नगर, अलवर (राज0)
2. राकेश मीणा पुत्र श्री बाबुलाल मीणा, उम्र करीब 24 वर्ष, निवासी ग्राम नयाबास (नरवाला का बास), तहसील रामगढ़, जिला अलवर (राज0)

.....वादीगण/असल रेस्पोडेण्ट

3. मिट्ठनलाल पुत्र श्री हरिराम मीणा, उम्र करीब 45 वर्ष, निवासी ग्राम नयाबास (नरवाला का बास), तहसील रामगढ़, जिला अलवर (राज0)
4. बाबूलाल पुत्र श्री बालूराम मीणा, उम्र करीब 50 वर्ष, निवासी ग्राम नयाबास (नरवाला का बास), तहसील रामगढ़, जिला अलवर (राज0)
5. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार रामगढ़, जिला अलवर (राज0)

.....तरतीबी रेस्पोडेण्ट

उपस्थित :–

1. श्री सचिन खत्री, अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री पंकज गोयल, अभिभाषक रेस्पोडेण्ट सं0 1।
3. श्री जनार्दन शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेण्ट सं0 2।

::: निर्णय :::

दिनांक :– 13.09.2021

यह अपील मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी रामगढ के दावा संख्या 1/7/20 बउनवान श्रीमति श्वेता मीणा बनाम कमला देवी के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.03.20 के

विरूद्ध अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी रामगढ के समक्ष अर्न्तगत धारा 88, 89, 53 आरटीएक्ट इस आशय का दावा प्रस्तुत किया कि आराजी हाल खसरा नम्बर 154 गै0मु0 चाह रकबा 0.02, 155 रकबा 9.19 हैक्ट0 बारानी–2, 659 रकबा 0.10, 660 रकबा 0.10, 661 रकबा 0.10 हैक्ट0 किता 5 कुल रकबा 9.51 हैक्ट. वाके ग्राम नयाबास तहसील रामगढ जिला अलवर विवादित आराजीयात है। उक्त विवादित आराजीयात में मुताबिक जमाबन्दी 2075–78 ग्राम नयाबास वादी सं0 1 श्वेता मीणा हिस्सा 7/9 की, वादी सं0 2 राकेश मीणा हिस्सा 1/18 का, प्रतिवादी सं0 1 कमला हिस्सा 1/9 की, प्रतिवादी सं0 2 मिट्ठनलाल हिस्सा 11/378 तथा प्रतिवादी सं0 3 बाबूलाल हिस्सा 5/189 का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार हैं। विवादित आराजीयात में असल प्रतिवादी सं0 1 कमला देवी ने 1/9 हिस्सा पूर्व खातेदार बांका पुत्र श्योदान से खरीदा था तथा इसी तरह 11/378 हिस्सा बांका पुत्र श्योदान से ही असल प्रतिवादी सं0 2 मिट्ठनलाल ने खरीदा था। विवादित आराजीयात पूर्व खातेदार बांका पुत्र श्योदान के समय से ही मौके पर विभाजित चली आ रही है और उसी अनुसार प्रतिवादी सं0 1 व 2 मौके पर काबिज हैं। इसी तरह वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 3 भी अपने–अपने हिस्से पर काबिज चले आ रहे हैं। मौके पर चले आ रहे विभाजन मुताबिक वादीगण व असल प्रतिवादीगण ने तहसीलदार साहब, रामगढ़ के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 53(2) राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत आराजी मुतनाजा को तकसीम कराने हेतु दिनांक 13.11.19 को प्रार्थना पत्र पेश किया। तहसीलदार साहब द्वारा पटवारी हल्का एवं भू0अ0 निरिक्षक से रिपोर्ट तलब की गई तथा दिनांक 11.12.19 को पत्रावली व जॉच रिपोर्ट का अवलोकन कर तहसीलदार साहब द्वारा विभाजन स्वीकृत कर आदेश जारी किये गये। उक्त विभाजन स्वीकृति के बाद असल प्रतिवादी सं0 1 ने बराय बदयान्ति असल प्रतिवादी सं0 2 व 3 के बरगलावे में आकर तहसीलदार साहब को एक प्रार्थना पत्र 13.12.19 को प्रस्तुत कर उक्त बंटवारे से असहमति जाहिर करते हुए आगामी बंटवारा आदेश तक इन्तकाल की कार्यवाही को रूकवा दिया। दिनांक 29.12.19 को जब वादीगण ने असल प्रतिवादीगण से बातचीत की तो उन्होने साफ इन्कार करते हुए कहा कि वो उक्त स्वीकृत बंटवारे का इन्तकाल दर्ज मंजूर नहीं होने देंगे तथा वादीगण को उनके हिस्से की आराजी का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग नहीं करने देने की धमकी दी। यदि असल प्रतिवादीगण अपने बेजा मकसद में सफल हो गये जो वादी को नापूर्ति होने वाली क्षति होगी। इस प्रकार वादीगण द्वारा मातहत अदालत से निवेदन किया गया कि विभाजन आदेश दिनांक 11.12.19 के अनुसार वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण को अपने–अपने हिस्से में आई आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।

मातहत अदालत द्वारा दिनांक 11.02.20 को वाद वादी स्वीकार करते हुए प्रारम्भिक डिक्री जारी कर तहसीलदार रामगढ को कुर्रेजात तैयार करने के आदेश दिये गये। तहसीलदार रामगढ द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर मातहत अदालत में पेश की गई। प्रतिवादी सं0 1 व 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाकर तथा प्रतिवादी सं0 3 की सहमति पर दिनांक 20.03.20 को वाद वादी स्वीकार कर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अन्तिम डिक्री किया गया। मातहत अदालत के इस आदेश से व्यथित होकर प्रतिवादी सं0 1 द्वारा अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मिन अपीलाण्ट को मातहत अदालत के यहाँ से कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुए। असल रेस्पोडण्ट द्वारा मातहत अदालत में प्रस्तुत दावे में मिन अपीलाण्ट का पता गलत दर्ज किया गया था। मिन अपीलाण्ट को तहत न्यायालय में विचाराधीन रहे राजस्व वाद की कोई जानकारी नहीं हुई, अन्यथा मिन अपीलाण्ट अपने हक हकूको की रक्षार्थ तहत न्यायालय में उपस्थित होती। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एक ही तारीख पेशी 11.02.20 को मिन अपीलाण्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही आदेश सादिर करने के उपरान्त बिना किसी दस्तावेज पर प्रदर्श डाले, बिना दस्तावेजी साक्ष्य के, बिना मौखिक साक्ष्य के रेस्पोडेण्ट द्वारा पेश राजस्व वाद को प्रारम्भिक डिक्री फरमाया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के सर्वथा विपरित है। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गलत प्रकार से अन्तिम डिक्री 20.03.20 पारित की गई है तथा अच्छी से अच्छी भूमि रेस्पोडेण्ट को प्रदान की गई है, मिन अपीलाण्ट को सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया गया, जिस कारण से तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ द्वारा पारित आलोच्य निर्णय व डिक्री दिनांक 20.03.20 अपास्त व अभिखण्डित फरमाये जाने योग्य है। इस प्रार्थना के साथ अपीलाण्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र दफा 05 लिमिटेशन एक्ट भी पेश किया। प्रार्थना पत्र दफा 05 लिमिटेशन एक्ट के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आलोच्य निर्णय व डिक्री दिनांक 20.03.20 की अपीलांट को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 01.09.20 को गांव नयाबास, तहसील रामगढ़ की चौपाल पर अन्य लोगों के जरिये हुई, जिस पर मिन अपीलाण्ट ने दिनांक 14.09.20 को आलोच्य निर्णय व डिक्री की नकल वास्ते तहत न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया तथा उसी दिन नकल बनकर प्राप्त हुई। दिनांक 20.03.20 से दिनांक 01.09.20 का समय लाईल्मी होने के कारण कण्डोन फरमाये जाने योग्य है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

सर्वप्रथम अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 05 लिमिटेशन एक्ट पर संक्षिप्त बहस करते हुये प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट का प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के जवाब में कथन है कि अपीलाण्ट/प्रतिवादी बावजूद तामील मातहत अदालत में पेश नहीं हुआ। अपील को इतने समय पश्चात पेश करने का कोई औचित्य नहीं है। अपील पेश करने में हुई देरी का दिनप्रतिदिन का उचित कारण भी अंकित नहीं किया गया है। अतः अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम खारिज कर अपील खारिज की जावें।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम को अपीलाण्ट द्वारा सशपथ सत्यापित किया है। इस कारण अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधि. के साथ संलग्न शपथ पत्र पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। मातहत अदालत द्वारा भी पारित निर्णय दिनांक 20.03.20 में प्रतिवादी सं0 1/अपीलाण्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है, जिससे स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट को निर्णय की जानकारी नहीं थी। अदालत मातहत की आदेशिका दिनांक 28.01.20 को तामिल हेतु रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए परन्तु उनमें

कांट–छांट की गई है। तामिल करते समय तामिल की अवधि एक माह नियत होती है। रजिस्टर्ड लिफाफों की न तो तामिल प्रति, न ही लौटे लिफाफे प्राप्त होकर शामिल मिसल है। इसके अतिरिक्त दिनांक 28.02.20 की जो कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार की गई है, उसमें भी नोटिस जारी नहीं किया गया। विभिन्न माननीय न्यायालयों में मियाद बिन्दु के बारे में नरम रूख अपनाने के निर्देश देते हुए यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि वाद को गुणावगुण के आधार पर, न कि तकनीकी आधार पर निपटाया जाना चाहिए। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार किया जाता है।

अभिभाषक अपीलांट ने मुख्य बहस में अपील मीमों के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया। अपीलांट अभिभाषक का बहस में कथन है कि तहत अदालत द्वारा विधिवत रूप से प्रतिवादी/अपीलाण्ट के तामील नोटिस नहीं करवाये गये। तलबी की रसीदों में भी कांटफांस की गई है, जिस ओर तहत अदालत द्वारा गौर नहीं किया गया। तहत अदालत द्वारा प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री सादिर करने से पूर्व ज्यूडिशियल माईण्ड को अप्लाई नहीं किया गया और ना ही तहसीलदार रामगढ़ के यहां से मूल पत्रावली को तलब किया गया। प्रारम्भिक डिक्री में तहत अदालत द्वारा विभाजन का प्रस्ताव दिनाक 28.02.20 से पूर्व भिजवाने का आदेश विधि सम्मत नहीं है, क्योंकि प्रारम्भिक डिक्री होने के उपरान्त न्यायालय के समक्ष इजराय कार्यवाही संस्थित होती है, जिसमें प्रारम्भिक डिक्री को अन्तिम किया जाता है या अन्तिम डिक्री वास्ते पक्षकारों के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया जाता है, जो कि अपील की मियाद से परे होता है। परन्तु यहां आनन फानन में प्रारम्भिक डिक्री के एक माह पश्चात दिनांक 20.03.20 अन्तिम डिक्री कर दी गई, जो अविधिक है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्त की अवहेलना करते हुए निर्णय पारित किया है। इस प्रकार अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा अपील स्वीकार की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को अपास्त करने का निवेदन किया गया।

अभिभाषक रेस्पोडेण्ट ने तहत अदालत में प्रस्तुत वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 11.12.19 द्वारा तहसीलदार रामगढ़ द्वारा स्वीकृत विभाजन सभी पक्षों की सहमति के द्वारा हुआ था, परन्तु अपीलाण्ट द्वारा बदयान्ति तथा वादीगण/रेस्पोडेण्टगण को परेशान करने के मकसद से दिनांक 13.11.19 को असहमति को प्रार्थना पत्र पेश कर दिया। वादीगण द्वारा अपने हकों की रक्षार्थ तहत अदालत में दावा पेश किया गया, जहां रजिस्टर ए0डी0 द्वारा तामील कराने के बावजूद प्रतिवादी/अपीलाण्ट जानबूझकर मातहत अदालत में पेश नहीं हुआ। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार रामगढ की कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावें।

हमारे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। मातहत अदालत द्वारा पारित प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री दिनांक 11.02.20 तथा अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 20.03.20 का भी अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया।

मातहत अदालत की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि तहत अदालत में प्रतिवादीगण/अपीलाण्ट की तामीलों के लिए जो रजिस्टरी ए0डी0 कराई गई थी, उनकी रसीदों में कांटछांट की गई है। असल रेस्पोडेण्ट के द्वारा दावे में मिन अपीलाण्ट का गलत पता दर्ज किया गया है। तहत अदालत में प्रस्तुत वाद–पत्र में तथा तहत अदालत के निर्णय में मिन अपीलाण्ट का हाल पता मालवीय नगर, बी ब्लॉक के पीछे, पुराना रूपबास, जगन्नाथ मन्दिर के सामने, अलवर है, जबकि अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत पहचान–पत्र तथा अपील मीमो में

अपीलाण्ट का वास्तविक हाल पता मकान सं. 87–बी, कप्तान छुट्टनलाल मीणा कॉलोनी, अलवर है।

मातहत अदालत द्वारा पारित प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री दिनांक 11.02.21 के अवलोकन से स्पष्ट है कि मातहत अदालत द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध बिना सुनवाई का मौका दिए एकतरफा कार्यवाही करते हुए प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई है और अन्तिम डिक्री जारी करने से पूर्व न तो प्रतिवादी/अपीलाण्ट को नोटिस जारी किए गए और न ही राजस्थान काश्तकारी नियम (बोर्ड) 18–21 की पालना की गई है, यह विधिक त्रुटि है, जिसका परिमार्जन किया जाना न्यायोचित्त है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य पाये जाने के कारण स्वीकार की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ के निर्णय एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 20.03.20 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी रामगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई का प्राकृतिक अवसर देते हुये राजस्थान काश्तकारी नियम (बोर्ड) 18–21 की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर पुनः अपना निर्णय 02 माह में पारित करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। सम्बन्धित पक्षकार दिनांक 27.09.21 को अदालत मातहत में उपस्थित हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि राम मीना) 13.9.21
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर